कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड–फिरोजाबाद

निविदा सूचना संख्याः– 02/अधि0 अभि0/ 2016–17

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु प्री–क्वालिफिकेशन/ टैक्नीकल बिड सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनाँकः– 24.01.2017 को 2:00 बजे तक सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद कार्यालय में आमन्त्रित की जाती हैं। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेंगी। प्री–क्वालिफिकेशन बिड में क्वालीफाई घोषित ठेकेदारों की सूची दिनाँकः– 25.01.2017 को अपरान्ह सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद कार्यालय के नोटिस–बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेंगी। तदोपरान्त केवल क्वालीफाइड घोषित ठेकेदारों से ही फाइनेन्सियल बिड दिनाँकः– 27.01.2017 को 3:00 बजे तक सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद कार्यालय में प्राप्त की जायेंगी, जिनकी फाइनेन्सियल बिड दिनाँकः– 27.01.2017 को 3:30 बजे सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद कार्यालय में समिति के समक्ष खोली जायेंगी। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेंगी। निविदा प्रपत्र दिनाँकः–23.01.2017 तक किसी कार्यदिवस में समय 11:00 बजे से 4:00 बजे के मध्य सिंचाई खण्ड–फिरोजाबाद, के कार्यालय एवं अन्य नामित अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ एवं सिंचाई खण्ड हाथरस के कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त की जा सकेंगी।

लोट सं0	कार्य का विवरण	धरोहर राशि (लाख रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1	नूँह राजवाह के किमी0 6.30 पर कुशवाह ड्रेन क्रासिंग पर साइफन का निर्माण कार्य	2.50	2 माह	500+300 स्टेशनरी चार्ज + वैट चार्ज अतिरिक्त	बी

(1.) *राजवाह/नाले पर साइफन का कार्य समयबद्धरूप से 2 माह में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। कार्यों की प्रगति मानक से कम होने पर विभाग को अधिकार होगा कि वह मात्र एक नोटिस देकर अन्य कार्य संस्था से कार्य को पूर्ण कराने तथा अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसके पूर्व ठेकेदार को कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।*

(2.) *ज्वाईंट वेचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।*

(3.) *निविदा दाता को श्रम विभाग के सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत श्रम विभाग से लाइसेंसिंग (रजिस्ट्रेशन) कराना आवश्यक होगा।*

(4.) *निविदा दाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या– 622/23.12.2012–2 आडिट/ 08टीसी–2, दिनाँकः 08–6–2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक बिलो दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा दस प्रतिशत से अधिक बिलो दरें पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर प्रफोमेन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदा दाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जप्त कर ली जायेगी।*

(5.) *यह निविदा/ बिड सूचना उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (***http://www.upgovt.nic.in***) तथा सिंचाई विभाग की वेबसाईट (***http://www.irrigation.up.in, http://www.idup.upgovt.in***) पर उपलब्ध है। वेबसाईट से ड्राईंग उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिषासी अभियन्ता के कार्यालय में देख सकेंगे।*

(6.) *यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाईट (***http://etender.up.nic.in***) पर उपलब्ध हैं। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र (*IDT-1, IDT-2, IDT-3*) व अन्य प्रपत्र/अभिलेख की मूल प्रति प्री–क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल बिड के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।*

(7.) *पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (*IDT-1*) हैसियत प्रमाण–पत्र (*IDT-2*) स्वघोषणा शपथ–पत्र (*IDT-3*) को मूल प्रति प्री–क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

(8.) *निविदा/बिड की विस्तृत शर्तें निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।*

(9.) *निविदादाता/बिडर को दिनाँकः– 24.01.2017 तक सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद कार्यालय में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष का वार्षिक टर्नओवर निविदा लागत या उससे अधिक की अधिकृत चाटर्ड एकाउन्टटेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट मूलरूप मे निविदा के साथ उपलब्ध कराना होगा।*

(10.) *निविदादाता/बिडर को दिनाँकः– 24.01.2017 तक सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद कार्यालय में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वर्ष में समान प्रकृति के कार्यो के अनुभव प्रमाण–पत्र मूलरूप में निविदा के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य है।*

(11.) *निविदादाता को धरोहर धनराशि, टेण्डर सेल* VAT *सहित तथा* IDT-1, IDT-2, IDT-3 *निर्धारित श्रेणी का प्रमाण–पत्र, टर्नओवर के मूल प्रमाण–पत्र सिंचाई खण्ड, फिरोजाबाद के कार्यालय में दिनाँकः– 24.01.2017 को 2:00 बजे तक जमा करने होगें अन्यथा उनकी निविदा* Unresponsive *मानते हुये कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त की स्कैन्ड कापी निविदा के साथ लगानी अनिवार्य होगी।*

(12.) *प्रत्येक निविदादाता को रु0 100/– जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रुपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी स्कैन्ड*

कापी आनलाइन निविदा के साथ जमा करनी है। नियमानुसार देय वाणिज्यकर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी, प्रचलित टैक्स देनी होगी। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प जमा करना होगी।

(13.) धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभुति के रूप में 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में में बंधक होनी चाहिये। इसकी मूल कापी प्रति प्री–क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल बैठक मे जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

(14.) कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी/बढ़ायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

(15.) निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तिथियों तथा समयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। काई भी जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

(16.) निविदादाता/बिड द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी अथवा अन्य किसी कराण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(17.) इस निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

(18.) यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

(19.) Technical Evaluation by Tender Committee will be done, Comparative Chart would be prepared & Award of Contract will be available as per senction.

(20.) कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।

(21.) राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगें।

(22.) एक निनिदादाता केवल एक ही निविदा डाल सकेगा।

(23.) यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असमयक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

(24.) विशिष्ट परिस्थितियों में निविदा खोलने के तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध करा दी जायेगी।

(25.) प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह निरीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-1, IDT-2, IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण–पत्र ठीक–ठीक उपलब्ध कराये है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी य असंतोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेगी।

(26.) विडिंग तथा कार्य से सम्बन्धित प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु एक प्रीबिड मीटिंग दिनाँकः– 25.01.2017 को अपरान्ह 1:00 बजे सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में आयोजित की गयी है, जिस इच्छुक ठेकेदार भाग ले सकेंगे।

(27.) अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर का उल्लंघन किया गया है, तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड–फिरोजाबाद